रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

सत्यमेव जयते

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 1, 2004/आश्विन 9, 1926

No. 432] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 2004/ASVINA 9, 1926

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 654(अ).—केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) की धारा 23 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम केन्द्रीय सतर्कता आयोग (कठिनाईयां दूर करना) आदेश, 2004 है।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 11 में ''धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा (ग) में संदर्भित जांच'' शब्दों, कोष्ठकों तथा अक्षरों के लिए ''धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) तथा (घ) में संदर्भित जांच'' शब्दों, कोष्ठकों तथा अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. 418/3/2003-ए.वी.डी.-IV]

मंजुलिका गौतम, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

ORDER

New Delhi, the 28th September, 2004

G.S.R. 654(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 23 of the Central Vigilance Commission Act, 2003 (45 of 2003), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. (1) This Order may be called the Central Vigilance Commission (Removal of Difficulties) Order, 2004.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Section 11 of the Central Vigilance Commission Act, 2003, for the words, brackets and letters "inquiry referred to in clauses (b) and (c) of Sub-section (1) of Section 8", the words, brackets and letters "inquiry referred to in clauses (c) and (d) of Sub-section (1) of Section 8" shall be substituted.

[F. No.418/3/2003-AVD. IV]

MANJULIKA GAUTAM, Addl. Secy.

2968 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.